न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 26/2021

1. बलवीरसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपुत निवासी कणाउ त0 भादरा ।
2. उदयसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपुत निवासी कणाउ त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. मालसिंह पुत्र नत्थुसिंह जाति राजपुत निवासी कणाउ त0 भादरा ।
2. कृष्णा पत्नी स्व. सुमेरसिंह पुत्र मालसिह जाति राजपुत निवासी कणाउ त0 भादरा।
3. निशा पुत्री स्व सुमेरसिंह पुत्र मालसिंह नाबालिग जरिये इष्टमित्र माता कृष्णा पत्नी स्व. सुमेरसिंह जाति राजपुत निवासीगण कणाउ त0 भादरा।
4. दिशा पुत्री स्व सुमेरसिंह पुत्र मालसिंह नाबालिग जरिये इष्टमित्र माता कृष्णा पत्नी स्व. सुमेरसिंह जाति राजपुत निवासीगण कणाउ त0 भादरा।
5. कविता पुत्री स्व सुमेरसिंह पुत्र मालसिंह नाबालिग जरिये इष्टमित्र माता कृष्णा पत्नी स्व. सुमेरसिंह जाति राजपुत निवासीगण कणाउ त0 भादरा।
6. अमनसिंह पुत्र स्व सुमेरसिंह पुत्र मालसिंह नाबालिग जरिये इष्टमित्र माता कृष्णा पत्नी स्व. सुमेरसिंह जाति राजपुत निवासीगण कणाउ त0 भादरा।
7. विनोदकंवर पुत्री मालसिंह जाति राजपुत निवासी कणाउ त0 भादरा।
8. फुलांकंवर पुत्री मालसिंह जाति राजपुत निवासी कणाउ त0 भादरा।
9. कमलाकंवर पुत्री मालसिंह जाति राजपुत निवासी कणाउ त0 भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : वादी
वकील श्री विनोद शर्मा : प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

निर्णय **दिनांक : 15/7/21**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 214/217 के खसरा सं0 18 की 2.554है0 खसरा सं0 351/1 की 3.011है0 कुल 5.565है0 बारानी खातेदारी प्रविवादी सं0 1 मालसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादी के दादा नत्थूसिंह की खातेदारी हुआ करती थी। नत्थूसिंह के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 मालसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

Scanned with CamScanner

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 9 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 10 स्टेट को वकील वादी ने तर्क अंकित किया । प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 बलवीरसिंह पुत्र मालसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमावंदी रोही कणाउ संवत 2072–75 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति सावित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने रोही कणाउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही कणाउ संवत 2072–75 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 1 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण के अनुसार मालसिंह के तीन पुत्र बलवीर सिंह, स्व0सुमेरसिंह, उदयसिंह (चुंकि सुमेरसिंह की मृत्यू होने के कारण स्व0 सुमेरसिंह के जायज वारिसान में कृष्णा पत्नी स्व0 सुमेरसिंह, अमन पुत्र स्व0 सुमेरसिंह, निशा, दिशा, कविता पुत्रियान स्व0 सुमेरसिंह), व तीन पुत्री विनोद कंवर, फुलादेवी, कमला तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना सावित है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 9 जन्म से हक हिस्सा निहित है । चूकिं प्रतिवादीया सं0 7 ता 9 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः वाद भूमि में वादीगण प्रत्येक 1/4हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/4हिस्सा व 2 ता 6 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काविल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 214/217 के खसरा सं0 18 की 2.554है0 खसरा सं0 351/1 की 3.011है0 कुल 5.565है0 बारानी खातेदारी प्रवितादी सं0 1 मालसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं0 1 मालसिंह की वजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 मालसिंह प्रत्येक 1/4

Scanned with CamScanner

हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 6 संयुक्त रूप 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 7 ता 9 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 बलवीर 1/4 हिस्सा वादी सं0 2 उदयसिंह 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 मालसिंह 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 6 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...15/07/24... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 26/2021

1. बलवीरसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपुत निवासी कणाउ त0 भादरा ।
2. उदयसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपुत निवासी कणाउ त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. मालसिंह पुत्र नत्थुसिंह जाति राजपुत निवासी कणाउ त0 भादरा ।
2. कृष्णा पत्नी स्व. सुमेरसिंह पुत्र मालसिह जाति राजपुत निवासी कणाउ त0 भादरा।
3. निशा पुत्री स्व सुमेरसिंह पुत्र मालसिंह नाबालिग जरिये इष्टमित्र माता कृष्णा पत्नी स्व. सुमेरसिंह जाति राजपुत निवासीगण कणाउ त0 भादरा।
4. दिशा पुत्री स्व सुमेरसिंह पुत्र मालसिंह नाबालिग जरिये इष्टमित्र माता कृष्णा पत्नी स्व. सुमेरसिंह जाति राजपुत निवासीगण कणाउ त0 भादरा।
5. कविता पुत्री स्व सुमेरसिंह पुत्र मालसिंह नाबालिग जरिये इष्टमित्र माता कृष्णा पत्नी स्व. सुमेरसिंह जाति राजपुत निवासीगण कणाउ त0 भादरा।
6. अमनसिंह पुत्र स्व सुमेरसिंह पुत्र मालसिंह नाबालिग जरिये इष्टमित्र माता कृष्णा पत्नी स्व. सुमेरसिंह जाति राजपुत निवासीगण कणाउ त0 भादरा।
7. विनोदकंवर पुत्री मालसिंह जाति राजपुत निवासी कणाउ त0 भादरा।
8. फुलांकंवर पुत्री मालसिंह जाति राजपुत निवासी कणाउ त0 भादरा।
9. कमलाकंवर पुत्री मालसिंह जाति राजपुत निवासी कणाउ त0 भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 214/217 के खसरा सं0 18 की 2.554है0 खसरा सं0 351/1 की 3.011है0 कुल 5.565है0 बारानी खातेदारी प्रविवादी सं0 1 मालसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं0 1 मालसिंह की बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 मालसिंह प्रत्येक 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 6 संयुक्त रूप 1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 7 ता 9 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने तथा यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 बलवीर 1/4 हिस्सा वादी सं0 2 उदयसिंह 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 मालसिंह 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 6 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/07/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner